

नम्बर व ता. अ.
जो इस हुल्ल
तासील में जारी हु

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 97/2017

बउनवान

रामकरण आयु 53 वर्ष पुत्र श्री शंभू जाति-सहरिया निवासी-बावडीखेडा,
तहसील बारां, जिला-बारां (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री गोविन्द सिंह लक्षावत, अभिभाषक

(अपीलांट)

2. परोकार सरकार

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक- 27.05.2019



1- अपीलांट ने जर्गे अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 17.02.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-बावडीखेडा, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 103 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म-चारागाह पर अतिक्रमी मानकर जप्ती, बेदखली, 264/-रूपये अर्थदण्ड एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि विवादित भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काल्पनिक तौर पर कब्जा मानते हुये सजायाब किया गया है। अपीलांट ने मौके पर कब्जा छोड़ दिया है। हल्का पटवारी ने अपीलांट के यह कभी नहीं बताया कि उसका अमुक स्थान पर कब्जा है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर द्वितीय अतिक्रमी बाबत साक्ष्य नहीं होते हुये निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2014 निरस्त करमाया जावे।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्गे सम्मन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों के विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित

आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा पूर्व से छोड़ रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर विश्वास करके साईक्लोस्टाइल परफोर्मा पर निर्णय पारित किया गया है, जो विश्वसनीय नहीं है। अपीलांट ने बकाया तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4- इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 748/17 निर्णय दिनांक 13.03.2013 से भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5- हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 103 रकबा 0.48 है0 ग्राम बावडीखेडा से पूर्व में मिसल नम्बर 748/17 निर्णय दिनांक 13.03.2013 से भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6- परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 54/14 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

